

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं०-टी० ए० मिस वाद सं०- 123A/2018-19

केस का प्रकार-(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a)

रतन लाल टुडूआवेदक/विक्रेता

बनाम

रायमनी टुडू.....क्रेता

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

26-10-19

विक्रेता :- रतन लाल टुडू पिता स्व० चामरु टुडू, ग्राम-गमदेसाई, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड), जाति-संथाल।

क्रेता :- रायमनी टुडू पिता अनन्त राम टुडू, ग्राम-सितानी, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ(झारखण्ड), जाति-संथाल।

विक्रेता द्वारा दिनांक 30.07.2018 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत क्रेता रायमनी टुडू पिता अनन्त राम टुडू, ग्राम-सितानी, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :-

:: भूमि का विवरण ::

मौजा	थाना /थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
गमदेसाई	राजनगर/154	43	312	10½डी०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राजनगर से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, राजनगर का पत्रांक 08 दिनांक 03.01.2019 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-


1. प्रस्तावित भूमि विक्रेता स्वयं जमाबंदी रैयत है।
2. विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् विक्रेता के पास रकबा-2.12½ एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. विक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु प्रस्तावित भूमि बिक्री करना चाहता है।
5. विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जाति-'संथाल' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।


उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राजनगर ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2018 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राजनगर के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता रतन लाल टुडू पिता चामरु टुडू, ग्राम-गमदेसाई, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को क्रेता रायमनी टुडू पिता अनन्त राम टुडू, ग्राम-सितानी, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ(झारखण्ड)को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा-10½डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,


26/10/19
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।


26/10/19
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।